(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 46/2020-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 09 जून, 2020

सा.का. नि. ....(अ) - केंद्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सहित विश्व के कई देशों में कोविड-19 महामारी के फैलाव की दृष्टि से, परिषद की सिफारिशों पर यह अधिसूचित करती है कि उन मामलों में जहां पूर्णत: या भागत: प्रतिदाय दावे को नामंजूर करने के लिए नोटिस दिया गया है और जहां उक्त अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (7) के साथ पठित उपधारा (5) के उपबंधों के निबंधनों के अनुसार आदेश जारी करने की समय-सीमा 20 मार्च, 2020 से 29 जून, 2020 तक की अवधि के दौरान है, ऐसी दशा में, उक्त आदेश को जारी करने के लिए समय-सीमा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से नोटिस का उत्तर प्राप्त करने के पश्चात् पंद्रह दिनों तक या 30 जून, 2020 तक जो भी बाद का हो, विस्तारित हो जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 20 मार्च, 2020 से प्रवृत्त होगा ।

(फा. सं. सीबीईसी-20/06/03/2020-जीएसटी)

(प्रमोद कुमार)
निदेशक, भारत सरकार